बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

पत्रांक-5/आ03-12/2016- 1054 पटना, दिनांक- 30/11/17

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-1890/2014 में दिनांक 08.12.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में जांच समिति द्वारा तेघड़ा पार्ट-2 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का भौतिक सत्यापन कर अंतिम मापी ली गयी, जिसमें श्री नोयल वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बरौनी सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा समर्पित अंतिम विपत्र जांचोपरांत त्रुटिपूर्ण पाया गया। साथ ही श्री वर्मा को संवेदक के एकरारनामा में प्रावधानित सभी कार्यो को बिना पूर्ण किये अग्रधन एवं जमानत की राशि को रिफंड करने हेतु दिनांक-13.05.2016 को अनुशंसा किये जाने का भी दोषी पाया गया।

(2) उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय द्वारा पत्रांक 905, दिनांक 20.08.2016 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। विभाग द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-860 दि0-07.10.2016 एवं विभागीय पत्रांक-908 दिनांक 31.10.2016 द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री वर्मा द्वारा पत्रांक-218 दिनांक-25.10.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी तथा उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया एवं श्री वर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

(3) वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री वर्मा के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री नोयल वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बरौनी सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

(4) आरोपित श्री वर्मा, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

(5) जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(6) आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री नोयल वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बरौनी सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर, जांच संचालन पदाधिकारी, श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/11/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव

ज्ञापांक 5/आ03-12/2016- 1054 पटना, दिनांक 30/11/17

प्रतिलिपि: आरोप पत्र की प्रति के साथ जांच संचालन पदाधिकारी श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना /प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / श्री नोयल वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बरौनी सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव।

ज्ञापांक 5/आ03-12/2016- 1054 पटना, दिनांक- 30/11/17

प्रतिलिपि: सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Email

28/11/17

(शशिकांत तिवारी)

अपर सचिव।

Ravin p sankalp